प्रकरण सं. 101/2016 उनवान 212 RTA

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रघुदेवी v/s भानीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/3/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आशि. उप.। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 6 की तलबी हेतु Regd AD नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी हेतु दिनांक 1/4/25 को पेश हो। 4/3/25	
1/4/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी आशि. उप.। प्रार्थी आशिवक्ता द्वारा अप्रार्थी सं. 1 लगा. 6 के सही सकूनत के साथ सम्मन तलबाने पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी पेश नहीं किये हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 4 के अन्तर्गत प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अन्तरिम आम्मार निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अन्तरिम आम्मार निषेधाज्ञा का राजस्व रिकार्ड से अमल हटाये जाने हेतु तथा आदेश की पालना किये जाने हेतु तहरीर तहसीलदार भीलवाड़ा को जारी हो। पत्रावली में प्रार्थी को वास्ते अप्रार्थीगण की तलबी हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23/4/25 को पेश हो। 1/4/25	
23/4/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं प्रार्थी आशि. अनु.। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल वाद सं. 13/16 अदम हाजरी। अदम पैरवी में खारिज होने से वादी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के उपस्थित नहीं आने एवं नियमानुसार तीन बार आवाजें लगाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने से अदम हाजरी। अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सेर रूबरू सुनाया जाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। 23/4/25 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा	